फ्रूट मार्केट स्थित हनुमान मंदिर पर युवक ने की लघुशंका

हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा चक्काजाम करने की दी चेतावनी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

फ्रूट मार्केट के समीप हनुमान मंदिर पर वर्ग विशेष के युवक ने लघुशंका कर दी। जानकारी लगने पर सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठन व करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच गए थे। संगठन ने विरोध जताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि 24 घंटे में आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं धकेला तो चक्काजाम कर देंगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापारियों ने कुछ देर कारोबार बंद रखा। संगठन के नेताओं के जुटने पर सुरक्षा की दृष्टि से एमजी रोड, पंढरीनाथ और सराफा थाने का बल पहुंच गया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद संगठन का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस को प्रत्यक्षदर्शी भरत खस ने बताया कि घटना सोमवार रात 10 बजे की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी मंदिर में नशा करने वाले लोग पकड़े गए हैं। हर बार विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन पुलिसकर्मी कोई कार्रवाई नहीं करते।

मामले की जांच में पता चला कि आरोपी युवक मोइनुद्दीन का बेटा है, जो संजरी नाम से दुकान चलाते हैं। फिलहाल, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसकी तलाश जारी है। आरोपी के साथ समीर और कालू नाम के दो अन्य लड़के भी थे। तीनों चंदन नगर के निवासी बताए जा रहे हैं।

आरोपी के खिलाफ सबूत मिले

टीआई विजय सिसौदिया ने बताया कि तूफानसिंह पिता रामसिंह चौहान निवासी छोटा बांगड़दा ने बताया कि वह फ्रूट मार्केट में फल का ठेला लगाता है। जब वह दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी किसी युवक ने फोन कर मंदिर में लघुशंका करने की जानकारी दी थी। उधर, संगठन कार्यकर्ताओं के लौटने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह छापे मारे हैं।

यहां भी हो चुकी है हरकत

लोकसभा चुनाव के दौरान कतिपय लोगों ने शहर की शांति व्यवस्था भंग करने आजाद नगर स्थित मंदिर में मांस के टुकड़े फेंक दिए थे। इसके पहले संयोगितागंज थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में वर्ग विशेष के युवक ने तोड़फोड़ की थी। दोनों मामलों में आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है।

नौ माह में वापस कराए सवा सात करोड़ रुपए

ऑनलाइन फ्राड की मिली थी शिकायतें

इंदौर। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों की पुलिस लगातार मदद कर रही है। उनकी शिकायतों पर जांच के बाद हड़पी गई राशि वापस दिलाई गई है। क्राइम ब्रांच ने जनवरी से सितंबर तक (9 माह में) पीड़ितों को सवा सात करोड़ से अधिक रुपए वापस कराए हैं। साइबर हेल्पलाइन, सिटीजन कॉप और एनसीआरपी पोर्टल पर आई शिकायतों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों में वर्ष 2021 में 1 करोड़ 37 लाख, वर्ष 2022 में 3 करोड़ 92 लाख रुपए तथा वर्ष 2023 में 4 करोड़ 32 लाख रुपए आवेदकों के खाते में सकुशल वापस कराए थे। आवेदकों को राशि वापस कराने के साथ ही उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए साइबर पाठशाला जैसे अभियान के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

दोहरे मर्डर के फरार आरोपी ने नमकीन कारोबारी को पीटा

दुकान में भी की तोड़फोड़, कार खड़ी करने की बात पर हुआ था विवाद

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

भंवरकुआं थाना क्षेत्र से दोहरे मर्डर के मामले में फरार चल रहे बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर नमकीन कारोबारी को पीट दिया। इस दौरान दुकान में भी तोड़फोड़ की। मारपीट के पीछे कार खड़ी होने को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। परदेशीपुरा पुलिस को फरियादी राजेंद्र गोयल निवासी सर्वहारा नगर ने बताया कि उसकी आशीष ट्रेडर्स नाम से दुकान है। मेरे घर के बाहर कार खड़ी रहती है। इसे लेकर आरोपी गुल्ला पिता महेश चौकसे निवासी परदेशीपुरा, उसका जीजा सोनू जायसवाल और अन्य साथियों ने आपत्ति उठाई। आरोपियों ने कहा कि यहां से कार हटाओ। मैंने कहा यह तो लंबे समय से यहीं पार्क होती है। इस पर सोनू ने कहा कि अब यहां हमारी कार खड़ी होगी तो मैंने कहा- बाद में हटा लूंगा। इसी बात पर बदमाशों ने हमला कर दिया।

दुकान से सामान उठाकर फेंकने लगे : आरोपी इतने आक्रोशित हो गए कि दुकान में घुसकर सामान उठाकर फेंकने लगे। दुकान में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से उन्होंने टीवी तोड़ दिया। इसके बाद मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया।

टीआई ने फरार घोषित किया था : फरार आरोपी गुल्ला चौकसे ने करीब तीन साल पहले पालदा में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। तब भंवरकुआं टीआई संतोष दूधी ने राजनीतिक दबाव में उसे फरारी में डाल दिया। क्योंकि, आरोपी गुल्ला के पिता भाजपा के बड़े नेता के कट्टर समर्थक हैं। उक्त नेता ने ही टीआई पर दबाव बनाया था।

दिनभर क्षेत्र में घूमता रहा : सूत्रों की मानें तो आरोपी गुल्ला और उसके साथी वारदात के बाद से ही दिनभर घर के आसपास घूमते रहे, लेकिन परदेशीपुरा पुलिस ने उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई।

क्या कहते हैं अधिकारी

आरोपी गुल्ला भंवरकुआं से फरार है तो उसे पकड़ना चाहिए। हमारे यहां मामले में उसकी तलाश की जा रही है।

–पंकज द्विवेदी,
थाना प्रभारी परदेशीपुरा

आरोपी को लेकर परदेशीपुरा टीआई को कहा है कि वह पकड़कर हमें सौंपे। आरोपी हमें नहीं सौंपा तो वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे।

–राजकुमार यादव,
टीआई भंवरकुआं

दोहरे हत्याकांड के आरोपी को परदेशीपुरा पुलिस पकड़कर भंवरकुआं पुलिस को सौंपे। ऐसा नहीं किया तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

–राकेश गुप्ता, पुलिस आयुक्त

पूर्व डीआईजी चौधरी के घर के पास वाहनों में तोड़फोड़

एमआईजी थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

पुलिस की निष्क्रियता के चलते बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एमआईजी थाने से आधा किलोमीटर दूर पूर्व डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी के घर के समीप हथियार लहराकर पहुंच गए। इस दौरान आसपास के लोगों के 5-6 दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना से रहवासियों में रोष है।

बदमाशों ने सोमनाथ की जूनी चाल में मंगलवार शाम को जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस गुंडों ने न सिर्फ लोगों के घरों में तोड़फोड़ की, बल्कि स्थानीय लोगों के अनुसार, बदमाशों की टोली हाथों में लट्ठ, बेसबॉल के डंडे और अन्य हथियार लेकर आए थे। उन्होंने पहले घरों के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा और फिर बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

स्थानीय निवासियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। इस घटना ने एक बार फिर से शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ऐसे इलाके में, जहां पूर्व उच्च पुलिस अधिकारी का निवास हो, वहां भी गुंडे बेखौफ होकर ऐसी वारदात कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों की मानें तो तोड़फोड़ करने वाले युवक कुख्यात बदमाश सलमान लाला गिरोह के हैं। तोड़फोड़ के वीडियो में एक युवक लाला के साथ पूर्व में वारदात कर चुका है।

बदमाशों ने महिला वकील व उसके पति से की मारपीट

बाइक टकराने की बात पर हुआ था विवाद

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

स्कूटी से टकराने पर बदमाशों ने महिला वकील और उसके पति से जमकर मारपीट की। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आए फुटेज के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पलासिया पुलिस ने महिला वकील की शिकायत पर आरोपी समद अली व सैयद मार्जिन अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

पीड़िता ने बताया कि वह चार माह की गर्भवती है। सोमवार देर रात स्कूटी से खजराना चौराहे से आनंद बाजार तरफ आ रही थी। स्कूटी पति राहुल गुप्ता चला रहे थे। तभी उनकी स्कूटी को आरोपियों की इलेक्ट्रिक स्कूटी से टक्कर लग गई, जिससे दोनों गिर गए। आरोपी युवक और उनके साथी पति-पत्नी से हाथापाई और मारपीट करते हुए पति को पास की बिल्डिंग के नीचे ले गए। आरोपियों के दो साथियों ने बेल्ट निकाला और पति को मारने लगे। पत्नी बचाव करने गई तो उससे भी मारपीट की। महिला ने बताया कि वह गर्भवती है तो भी उसे गला पकड़कर धक्का दिया। इस दौरान परिचित अंकित वहां से निकला। वह बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन राहगीरों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

एमवाय पहुंचे हिंदू संगठन के लोग : रात में महिला वकील के साथ हुई मारपीट की जानकारी एसीपी तुषार सिंह को लगी तो वे थाने पहुंच गए। इधर, रात में हिंदू संगठन के नेता भी एमवाय पहुंचे। यहां महिला वकील और उनके पति का मेडिकल कराया। उन्होंने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही।

झूठे आरोप से परेशान युवती ने खाया जहर, हालत गंभीर

फैमिली ट्रिप में हुई थी युवक से पहचान, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

फैमिली ट्रिप में पहचान के बाद युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसने चरित्र पर अंगुली उठाई। परेशान युवती ने जहर खा लिया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गांधीनगर पुलिस के मुताबिक 31 साल की युवती की शिकायत पर पुलिस ने गांधी नगर में रहने वाले युवक पर केस दर्ज किया है।

पीड़ित युवती भंवरकुआं इलाके में रहती है। उसने बताया कि 21 दिसंबर 23 को युवक से बनारस में फैमिली ट्रिप के दौरान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातें होती रहीं। एक दिन युवक ने कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। एक जनवरी को युवक ने पीड़िता को अपने घर मिलने बुलाया। उसने कहा कि शादी के पहले आकर घर देख लो। पीड़िता उससे मिलने गांधी नगर स्थित घर चली गई। वहां युवती से संबंध बना लिए। इसके बाद दोनों कई बार उसके घर पर मिले।

10 जुलाई को युवती ने अपने माता-पिता को युवक और खुद के रिश्ते के बारे में बताया। परिजन युवक से मिले। इसके बाद वह अकेले में कहने लगा कि हमारे रिश्ते को लेकर उसके घर के लोग नहीं मानेंगे। उसकी मम्मी शादी समाज में ही करेंगी। 8 सितंबर को युवक के दोस्त सिद्धांत ने बताया कि युवक के पूर्व में कई महिलाओं से संबंध रहे हैं। उनके वीडियो युवक के पास हो सकते हैं। युवक की मां को यह सब बताने के लिए दोस्त को लेकर 10 सितंबर को गांधी नगर पहुंची। वहां युवक और उसकी मां पीड़िता को ही गलत ठहराने लगे। गलत इल्जाम लगाए।

सुसाइड की धमकी देने लगा आरोपी

पीड़िता के अनुसार जब युवक से कहा कि उसके पास दो और लड़कियों के वीडियो हैं। वीडियो में दोनों लड़कियां कह रही हैं कि हमारे साथ भी शादी का वादा किया था। अब वह युवक पर एफआईआर दर्ज कराने वाली है। यह बात सुनकर युवक ने पीड़िता का नाम लेकर सुसाइड करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हॉर्न बजाया तो डकैती करने आए बदमाश भागे

इंदौर। देवास से माताजी के दर्शन कर लौटे कारोबारी ने घर के पास कार का हॉर्न बजाया तो यहां डकैती डालने की योजना बना रहे बदमाश भाग निकले। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। कारोबारी कमल गोदानी ने बताया कि वे गोपालबाग स्थित मल्टी में रहते हैं। मंगलवार सुबह 4 बजे देवास से लौटे थे। उन्होंने कार का हॉर्न बजाया तो तीन नकाबपोश सामने आ गए। पूछताछ की तो बदमाश बोले कि रिश्तेदार से मिलने आए हैं। व्यापारी ने शोर मचाया तो नाले में कूदकर भाग गए। पुलिस को बदमाशों की बाइक मिली है।

रौब जमाने हथियार रखने वालों से 10 बाइक बरामद

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

डकैती की साजिश रचने के दर्ज हैं केस

राजेंद्र नगर पुलिस ने बाग टांडा के ऐसे दो युवकों को पकड़ा है, जो रौब जमाने के लिए अपने पास घातक हथियार रखते थे। आरोपियों से 10 बाइक, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक आरोपी पर पूर्व में भंवरकुआं थाने में डकैती की योजना का केस भी दर्ज हो चुका है।

थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें बढ़ने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को पकड़ने टीम का गठन किया था। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक चोइथराम मंडी स्थित पार्किंग के पास वारदात की नीयत से बैठे हैं। तत्काल टीम ने घेराबंदी कर वहां से आरोपी संजय पिता भीमसिंह अलावा निवासी टांडा, हाल मुकाम रोबोट चौराहा और उसका साथी संतोष पिता कड़वा सेंगर निवासी तेजपुर गड़बड़ी को पकड़ा।

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे महंगे शौक पूरे करने और नशे की लत पूरी करने के लिए बाइक चुराते थे। चुराई हुई बाइक मंडी के पास छिपाकर रख देते थे। आरोपी संजय ने चार बाइक राजेंद्र नगर क्षेत्र से चोरी करना बताया। उनके पास से एमपी 09 एक्सर 7570, एमपी 09 एनएस 2791, एमपी 09 एनसी 6830, एमपी 09 एमएक्स 2739, एमपी 45 बीसी 7988, एमपी 09 एनए 8602, एमपी 09 1337, एमपी 09 एनएच 3322, एमपी 09 वीजो 4055 जब्त की है।

बुलेट की बैटरी चुराने आया बदमाश बाइक छोड़कर भागा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर

मो.नं. 9926064287

बुलेट की बैटरी चुराने आया बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकला। बदमाश ने दो माह पहले घर के सामने से दोपहिया वाहन चुराया था। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र में 16 अगस्त को हुई थी। फरियादी (निगमकर्मी) रामअवतार सिंह पंवार निवासी सुखलिया ने बताया कि दोपहर में उनकी बाइक क्र. एमपी 09 एमआर 0210 घर के बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद जब वे घर से बाहर आए तो बाइक नहीं मिली। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दो युवक बाइक ले जाते नजर आए। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।

इधर, सोमवार को बाइक चुराने वाला बदमाश मेघदूत नगर पहुंचा। यहां घर के बाहर खड़ी बुलेट की बैटरी निकालने का प्रयास करने लगा। बुलेट मालिक ने देख लिया और शोर मचाया तो बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकला। इसके बाद हीरानगर थाने में पदस्थ जवान विजयसिंह परिहार को मेघदूत नगर के लोगों ने सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को बरामद किया। जब्त बाइक के कई पार्ट्स बदमाश निकाल चुके थे, लेकिन उन्होंने नंबर प्लेट नहीं बदली, जिससे फरियादी को वापस बाइक मिलने का रास्ता साफ हो गया।

19 लाख की ड्रग्स बरामद

इंदौर। मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री रोकने पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने चंदन नगर क्षेत्र के गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास से युवक से 19 लाख की 37.99 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है। आरोपी का नाम राजा निवासी नंदन नगर है।

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

[illegible]

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) देखें]

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-08-2023 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में उल्लिखित उधारकर्ताओं [illegible] उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रुपये 21,57,007.56/- (रुपये इक्कीस लाख सत्तावन हजार सात एवं छप्पन पैसे मात्र) का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित वर्ष, 2024 के इस 04 अक्टूबर को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा रुपये 21,57,007.56/- (रुपये इक्कीस लाख सत्तावन हजार सात एवं छप्पन पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय भूखंड क्रमांक 125 के पूर्वी भाग का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 798.75 वर्ग फीट, पलक सिटी कॉलोनी में स्थित, ग्राम: तेलीखेड़ा, कस्बा महू[illegible], [illegible] वार्ड क्रमांक 11, पी.एच. क्रमांक 4/1, तहसील: महू, जिला: इंदौर, मध्य प्रदेश- 453441, और इस प्रकार घिरा हुआ:- पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: भूखंड क्रमांक 125 और भूखंड क्रमांक 122, 123, 124 का शेष भाग, उत्तर: भूखंड क्रमांक 126, दक्षिण: कॉलोनी रोड।

दिनांक : 04-10-2024
स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म नं.
(धारा विनियमन 33(2))
रजि. ए/डी. दस्ती द्वारा [illegible] प्रकाशन द्वारा
वसूली अधिकारी का कार्यालय - I/II
ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर
797/2, शांति कुंज, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर- 482001
आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत बिक्री घोषणा के निपटान के लिए नोटिस, जिसे ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पढ़ित

RC/53/2017 18-09-2024

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
बनाम
जी के इंडस्ट्रीज

सेवा में,
(सीडी 1) जीके इंडस्ट्रीज
93 बी इंडस्ट्रियल [illegible] इंदौर इंदौर (म.प्र.) 452001
(सीडी 2) [illegible] लाहोटी
2216-डी, सुदामा नगर, इंदौर (म.प्र.)-452001
(सीडी 3) [illegible] लाहोटी
2216-डी, सुदामा नगर, इंदौर (म.प्र.)-452001

जबकि आपको, जी के इंडस्ट्रीज को ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के पीठासीन अधिकारी, जिन्होंने OA/189/2016 में दिनांक 10/01/2017 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था, द्वारा आवेदक बैंक [illegible] रुपये 9833876.50 [illegible] की राशि के साथ [illegible] और रुपये 101000 (एक लाख एक हजार मात्र) की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, और जबकि उक्त का भुगतान नहीं किया गया है, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे उल्लिखित अचल/अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

2. आपको सूचित किया जाता है कि बिक्री की घोषणा तैयार करने तथा उसकी शर्तों को तय करने के लिए 13/11/2024 को प्रातः 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्ति अथवा उसके किसी भाग से जुड़े किसी भी प्रकार के भार, प्रभार, दावे अथवा देनदारियों को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं।

संपत्ति का विवरण

वाणिज्यिक दुकान, प्रकोष्ठ क्रमांक, एलजी-1-2-3-4-5-6-7-8-9, [illegible] मार्केट का निचला तल, भूखंड क्रमांक- 12, [illegible], भूखंड क्रमांक- 1, इंदौर (म.प्र.) क्षेत्रफल 566.33 वर्ग फीट; [illegible] लाहोटी [illegible] का स्वामित्व।

इस दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायाधिकरण की मुहर से दिया गया: 18/09/2024

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059, भारत
शाखा कार्यालय: [illegible], इंदौर-452001

[illegible]

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/सह कर्जदार/गारंटर/कानूनी वारिस/ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय	एक दिन पूर्व नीलामी विवरण	संपत्ति का स्टेट
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	[illegible] LHND00001358003	[illegible]	रु. 12,84,315/- 3 अक्टूबर, 24	रु. 13,50,000/- रु. 1,35,000/-	18 अक्टूबर24 11AM-3PM	25 अक्टूबर24 2PM-3PM	24 अक्टूबर24	भौतिक कब्जा
2	[illegible] LHND00001358003	[illegible]	रु. 12,84,315/- 3 अक्टूबर, 24	रु. 13,50,000/- रु. 1,35,000/-	18 अक्टूबर24 11AM-3PM	25 अक्टूबर24 2PM-3PM	24 अक्टूबर24	भौतिक कब्जा

[illegible]

दिनांक : 09.10.2024
स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number U65922MH1999PLC120106

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्योरिटाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणियों/ सह-ऋणियों/ गारण्टर/ बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणियों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आम ऋणियों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणियों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी भी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम3(5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/ सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर का नाम / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) L9001060126345602, हिन्दुस्तान ट्रेडर्स (ऋणी), [illegible] अहमद पटेल (सहऋणी), रज्जाक पटेल (सहऋणी), श्रीमती रेहाना पटेल (सहऋणी), मुनीर अहमद पटेल (सहऋणी)	21-अगस्त-24 ₹ 9,81,112/- नौ लाख इक्यासी हजार एक सौ बारह रुपये मात्र 13-अगस्त-24 तक	संपत्ति स्थित मकान नं. 21, नया नं. 03, वार्ड नं. 09, लक्ष्मी गली [illegible] बड़वाह, [illegible] बड़वाह, बड़वाह, जिला पश्चिम निमाड़, मप्र क्षेत्रफल 236 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060129432030, शर्मा ट्रेडर्स (ऋणी), गोविन्द शर्मा (सहऋणी), राहुल शर्मा (सहऋणी), ओमप्रकाश शर्मा (सहऋणी), श्रीमती मनीषा तिवारी (सहऋणी)	21-अगस्त-24 ₹ 19,78,344/- उन्नीस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ चवालीस रुपये मात्र 13-अगस्त-24 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 41, सर्वे नं. 505/1, ग्राम [illegible], तहसील एवं जिला शाजापुर, मप्र क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) L9001060134097068, दशरथ पाटीदार (ऋणी), भगवान पाटीदार (सहऋणी), पवन पाटीदार (सहऋणी), श्रीमती संतोष बाई पाटीदार (सहऋणी), गोपाल दास बैरागी (गारंटर)	21-अगस्त-24 ₹ 10,68,540/- दस लाख अड़सठ हजार पांच सौ चालीस रुपये मात्र 13-अगस्त-24 तक	संपत्ति स्थित पीएच नं. 97, मकान नं. 92, ग्राम देवरान, ग्राम पंचायत देवरान, तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मप्र क्षेत्रफल 1013 वर्ग फीट

दिनांक: 08-10-2024 स्थान: इन्दौर/नीमच प्राधिकृत अधिकारी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड